

AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]

संघ का रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र

**CERTIFICATE OF REGISTRATION  
UNDER SOCIETIES REGISTRATION ACT OF XXI, 1860**

Registration No. S/ 59982 /2007

I hereby certify that

आयुष मेडिकल

संसाधन

located at WZ-3385

अट्टर जान

दिल्ली 110034

has been registered\* under

**SOCIETIES REGISTRATION ACT OF 1860.**

Given under my hand at Delhi on this 05<sup>th</sup> day of

अक्टूबर Two Thousand Seven.

Fee of Rs. 50/- Paid

Balwant Singh

(BALWANT SINGH)

**REGISTRAR OF SOCIETIES  
GOVT. OF NCT OF DELHI  
DELHI**



\* This document certifies registration under the Society Registration Act, 1860. However, any Govt. department or any other association/person may kindly make necessary verification (on their own) of the assets and liabilities of the society before entering into any contract/assignment with them.

दिल्ली पंजीकृत कार्यालय का उपरोक्त पता परिवर्तन हेतु एस.आर. अधि. 1860 के प्रावधानान्तर्गत संशोधन प्रस्ताव भेजा जा चुका है जो कि अब 121, कीर्तिनगर, नई दिल्ली 110 015 है। कृपया नोट करें।

AYUSH M.A.

## आयुष मेडिकल एसोसिएशन, इण्डिया की कुछ विशेषताएं

- \* पूर्व परम्परागत संघों से पृथक और विशिष्ट संविधान एवं रजिस्ट्रेशन
- \* काल्पनिक एवं अमान्य चिकित्सा पद्धति के नाम से नहीं अपितु भारत सरकार द्वारा मान्य, अनुमोदित शब्द/चिकित्सा पद्धति के नाम पूर्वक 'संघ' का रजिस्ट्रेशन
- \* किसी प्रदेश से नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रेशन, जहाँ से आई.एम.ए. भी रजिस्टर्ड है।
- \* AYUSH डॉक्टरों के कल्याणार्थ हितों के रक्षणार्थ, AYUSH में चिकित्सा क्षेत्र की आधुनिक प्रगतियों, उपलब्धियों और अनुसंधानों को शामिल करा AYUSH चिकित्सकों को उसके प्रयोगाधिकार दिलाने, चिकित्सा क्षेत्र की वैज्ञानिक शोधों सहित AYUSH के प्रचार-प्रसार, शिक्षा एवं सर्वांगीण विकास हेतु सम्पूर्ण भारत में कार्य करने हेतु रजिस्टर्ड
- \* AYUSH विभाग भारत सरकार द्वारा विभाग से सर्वाधिक जानकारी / सूचना प्राप्त करने वाले एसोसिएशन के रूप में सूचित, देखें पत्रांक जेड 16011/95/2008 आर. एण्ड पी. (आयु.) दिनांक 25 मार्च 2008

\* \* \* \* \*

AYUSH M.A.

AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]

# कितने रजिस्टर्ड AYUSH डॉक्टर्स हैं देश में?

## प्रदेशवार संख्या

Registered

No. Z.16011/5/2007-P&E

Ministry of Health & Family Welfare

Department of Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH)  
(P&E Cell)

IRCS Building, New Delhi

Dated 19.12.2007

To,

The Officer Incharge  
AYUSH Medical Associatio

Sub. Supply of information regarding no. of AYUSH registered practitioners are as on date.

States/UTs wise Number of Registered AYUSH Doctors in India as on 1.1.2007

S. No.	STATES/ UT's	Ayurveda	Unani	Siddha	Homeopathy	Naturopathy	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Andhra Pradesh*	15231	5022	-	9422	374	30049
2	Arunachal Pradesh	-	-	-	94	-	94
3	Assam	442	-	-	669	-	1111
4	Bihar	132981	4202	-	27864 (३)	-	165047
5	Chhattisgarh	794	9	-	221	-	1024
6	Delhi	3088	1625	-	3149	-	7862
7	Goa	290	-	-	274	-	564
8	Gujarat	20985	256	-	8503	-	29744
9	Haryana	18726	2212	-	5570	-	26508
10	Himachal Pradesh	7236	456	-	1111	-	8803
11	Jammu & Kashmir	1952	1956	-	-	-	3908
12	Jharkhand	-	-	-	-	-	-
13	Karnataka	20352	1121	4	5003	234	26714
14	Kerala	15068	64	1326	9273	-	25731
15	Madhya Pradesh*	47602	609	-	9380	2	57593
16	Maharashtra	63030	4079	-	38407 (२)	-	105516
17	Manipur	-	-	-	-	-	-
18	Meghalaya	-	-	-	240	-	240
19	Mizoram	-	-	-	-	-	-
20	Nagaland*	-	-	-	1997	-	1997
21	Orissa*	4448	17	-	3106	-	7571
22	Punjab	18424	4033	-	3742	-	26199
23	Rajasthan*	23861	1619	-	4778	-	30258
24	Sikkim	-	-	-	-	-	-
25	Tamil Nadu	3612	1014	5051	17268	278	27223
26	Tripura	-	-	-	145	-	145
27	Uttar Pradesh	51240	13289	-	27790 (६)	-	92319
28	Uttarakhand	1065	41	-	-	-	1106
29	West Bengal	3234	4934	-	39547 (१)	-	47715
30	AS&N Islands	-	-	-	-	-	-
31	Chandigarh*	-	-	-	297	-	297
32	D & N Haveli	-	-	-	-	-	-
33	Daman & Diu	-	-	-	-	-	-
34	Lakshadweep	-	-	-	-	-	-
35	Puducherry	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>453661</b>	<b>46558</b>	<b>6381</b>	<b>217850</b>	<b>888</b>	<b>725338</b>

AYUSH M.A.

AYUSH M.A. के विभाग/समितियों के  
गठन सम्बन्धी अनुदेश

1- निर्वाचन प्रकोष्ठ-

AYUSHMA, प्रान्तीय परिषद, जिला शाखा के पदाधिकारियों के निर्वाचन के लिए निर्वाचन प्रकोष्ठ होंगे

- 1- केन्द्रीय परिषद के लिए निर्वाचन प्रकोष्ठ
- 2- प्रान्तीय परिषद के लिए निर्वाचन प्रकोष्ठ
- 3- जिला शाखा के लिए निर्वाचन प्रकोष्ठ

(क) केन्द्रीय परिषद के लिए निर्वाचन

केन्द्रीय परिषद के लिए निर्वाचन प्रकोष्ठ निम्नानुसार गठित होगा-

- 1- विधि प्रकोष्ठ के सभी सदस्य जिनमें विधि प्रकोष्ठ के चेयरमैन निर्वाचन प्रकोष्ठ के चेयरमैन होंगे।
- 2- स्थायी समिति के नामित 2 सदस्य किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि जब केन्द्रीय परिषद के अध्यक्ष पद का निर्वाचन होगा तब विधि प्रकोष्ठ के चेयरमैन निर्वाचन प्रकोष्ठ में सदस्य नहीं रहेंगे और तब इस उद्देश्य के लिए स्थायी चेयरमैन की नियुक्ति स्थायी समिति अपने बहुमत से करगी।
- 3- प्रान्तीय परिषद के लिये स्थायी निर्वाचन प्रकोष्ठ के सदस्यों की नियुक्ति करेगी जिसमें केन्द्रीय परिषद एक पर्यवेक्षक भेजेगी।
- 4- जिला शाखा के लिए निर्वाचन प्रकोष्ठ।

(क) सम्बन्धित प्रान्तीय परिषद के अध्यक्ष

(ख) सम्बन्धित प्रान्तीय परिषद द्वारा नामित दो सदस्य

(ख) कार्य

जिला शाखाओं नगर शाखाओं आदि के अध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव करवाना होगा।

(ग) निर्वाचन व्यय

जिस परिषद के पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जायेगा उसके निर्वाचन का व्यय सम्बन्धित शाखा / परिषद द्वारा ही वहन किया जायेगा।

(घ) शक्तियाँ

निर्वाचन में पारदर्शिता, स्पष्टता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा यदि बहुमत से कोई निर्णय न हो सके तो निर्वाचन सम्बन्धी सभी विवादों का विचारण स्थायी समिति द्वारा किया जाएगा जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील आयुष मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट के समक्ष की जाएगी जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

**AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]**

(e) **Control**

The election cell formed for the elections of the branch shall also function under the control and command of the Central Election Cell.

2. **GOVERNING AND ADMINISTRATIVE COMMITTEE**

The governing and Administrative Committee will be constituted by the following members :

1. Senior Vice President of the concerned Council, who will be the sitting Chairman.
2. Vice President of each one of stream of treatment of AYUSH.
3. Three members nominated by the State and District Committee for the Permanent Committee and the Central Committee.

a) **Functions**

1. This committee shall be answerable to their respective Councils and Branch
2. To send suggestions for the formation of policy from time to time to govern and administer the doctors and system of treatment of AYUSH and to interfere in the administrative and governing activities,
3. All other such works which are decided by the concerned Council.

b) **Control**

Being under complete control of the Central Council this will act under the command and control of the District/ City and State Council,

3. **Building construction and sale and purchase Committee Department**

For making arrangement for the permanent offices of the State Councils, District and City offices of AYUSHMA and for establishing hospitals, Research Rooms/ laboratories Reading rooms and to make buildings for that purposes the Permanent Committee will make a Building Construction Committee with the consent of the concerned organ and will decide its area of jurisdiction, rights and duties from time to time.

4. **Social work and Health services Department**

For the overall development and for the purpose of giving benefit of AYUSH systems of treatment to every person Social work and Health services Department will be formed which will be constituted by the following members :-

1. Vice President of each AYUSH system
2. Social work and Health services Department;

**AYUSH M.A.**

**AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]**

**( ड ) नियंत्रण**

केन्द्रीय निर्वाचन प्रकोष्ठ के नियंत्रण में ही जिला शाखा के लिए गठित निर्वाचन प्रकोष्ठ कार्य करेगा।

**2- शासन एवं प्रशासन समिति-**

शासन प्रशासन विभाग समिति का गठन निम्न लिखित सदस्यों से होगा

- 1- सम्बन्धित परिषदों के वरिष्ठोपाध्यक्ष जो पदेन चेयरमैन होगा।
- 2- AYUSH के प्रत्येक चिकित्सा पद्धति के उपाध्यक्ष।
- 3- केन्द्रीय परिषद के लिए स्थायी समिति एवं प्रान्तीय एवं जिला नगर शाखा के लिए उनकी कार्यकारिणी से नामित 3 सदस्य

**( क ) कार्य-**

- 1- यह समिति अपने अपने परिषदों, शाखा के लिए उत्तरदायी होगी।
- 2- शासन एवं प्रशासन में AYUSH चिकित्सकों एवं चिकित्सा पद्धतियों के लिए नीति निर्धारण आदि के लिए समय-समय पर सुझाव प्रेषित करना तथा हमारे सम्बन्धित शासन प्रशासन के क्रियाकलापों में हस्ताक्षेप करना।
- 3- अन्य ऐसे सभी कार्यों जो सम्बन्धित परिषद द्वारा सोचे गये हैं।

**( ख ) नियंत्रण**

केन्द्रीय परिषद के सामान्य नियंत्रण में रहते हुए जिला व नगर शाखा प्रान्तीय परिषद के पूर्ण नियंत्रण में रहेगी।

**3- भवन निर्माण एवं क्रय विक्रय समिति विभाग-**

AYUSHMA के प्रान्तीय परिषदों एवं जिला नगर शाखाओं के लिए स्थायी कार्यालय स्थापित करने व AYUSH चिकित्सालय, अनुसंधानालय, वाचनालय आदि स्थापित करने के लिए भवन निर्माण समिति का गठन स्थायी समिति सम्बन्धित अंग के परामर्श से करेगी एवं स्थायी समिति कार्य क्षेत्र अधिकार समय-समय पर निश्चित करेगी।

**4- सामाजिक कार्य एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग-**

AYUSH विज्ञान के सर्वांगीण विकास एवं जन जन को AYUSH चिकित्सा का लाभ देने के उद्देश्य से सामाजिक कार्य एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न लिखित सदस्य होंगे।

- 1- प्रत्येक AYUSH पद्धति के उपाध्यक्ष
- 2- AYUSH पद्धति के ऐसे विद्वान चिकित्सक जिनके सम्बन्ध में केन्द्रीय परिषद, प्रान्तीय परिषद,

## **AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]**

Two persons will be nominated from each of the stream of AYUSH, who will be having expertise in their respective fields in the eyes of such learned doctors who were distinguished and for whom the Department of Social work and Health services was formed within the Central Council, State Council, District and City Branch or in whose area of work the said social work and health services were done.

3. One Member from the Department of Social work and Health services Department

**Functions**

1. The function of Social work and Health services Department is to organise medical treatment camps and in those camps to provide free medical treatment or treatment on receipt of the fee settled by the Central Council. To provide medical help to the down trodden, poor and destitute men and women and to work for construction of a healthy society.
2. To send details of every program to their own branch, State Council or Central council.

### **5. Establishment, Public relation and Advertisement Department.**

For publication, advertisement, general awareness about the programs, objectives, policies of AYUSHMA the Establishment, Public relation and Advertisement Department will be created and the following members will constitute:

1. The General Secretary of the concerned State Council, District/ City Branch shall be its sitting Chairman
2. Every secretary of AYUSH system of treatment.
3. A nominated member by all the Secretaries of Establishment, Public relation and Advertisement Department and Central Council.
4. AYUSH Rakshak Member who are nominated.

#### **a) Control**

The Central Council shall have control over this department and this department will send its report to the Central Council quarterly.

### **6. International AYUSH Department**

To spread acceptability and fame of AYUSH systems of treatment in the whole world with a view to spread feelings to remain healthy the International AYUSH Department will be made which will consist the following members :-

1. The President of the Central Council will be its sitting Chair-man
2. At least 5 or maximum 25 members will be nominated by the Permanent Council.
3. Three such members who will be nominated by Central Council.

### AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]

जिला व नगर शाखा जिनके क्षेत्राधिकार के लिए समाजिक कार्य एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग का गठन किया गया हो कि राय में से सदस्य AYUSH चिकित्सा विधा की अपनी-अपनी विधा में पारंगत है प्रत्येक विधा से 2 सदस्य नामित किये जायेंगे।

3- शासन प्रसाशन विभाग के सदस्यों में से एक सदस्य

#### कार्य

1- सामाजिक कार्य एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग का कार्य समय समय पर निःशुल्क अथवा केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना। असहाय, दीन-दुखियों की सेवा करना तथा स्वस्थ समाज के निर्माण में कार्य करना।

2- प्रत्येक कार्यक्रम विवरण अपनी शाखा, प्रान्तीय परिषद व केन्द्रीय परिषद को प्रेषित करना।

5- संगठन जन सम्पर्क एवं प्रचार विभाग-

AYUSHMA के उद्देश्यों, नीतियों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु केन्द्रीय परिषद संगठन जन सम्पर्क विभागों का गठन करेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे।

1. संबंधित प्रान्तीय परिषद् या जिला अथवा समूह शाखा का महासचिव पदेन चेयरमैन होगा।
2. AYUSH चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक सचिव।
3. सभी प्रचार व संगठन सचिव केन्द्रीय परिषद् के द्वारा नामित एक सदस्य।
4. आयुष रक्षक सदस्य जिन्हें नामित किया जाय।

#### (क) नियंत्रण-

इस विभाग पर केन्द्रीय परिषद् का नियंत्रण होगा तथा प्रत्येक तीसरे माह इस विभाग को अपनी प्रगति आख्या केन्द्रीय परिषद को भेजनी होगी।

6- अन्तर्राष्ट्रीय AYUSH विभाग -

समूचे विश्व में AYUSH चिकित्सा पद्धति की लोकप्रियता पहुँचाने एवे संपूर्ण विश्व के उत्तम स्वास्थ्यद की भावना से अन्तर्राष्ट्रीय AYUSH विभाग का गठन किया जाएगा। जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे।

1. केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष पदेन चेयरमैन होगा।
2. कम से कम 5 व अधिक से अधिक 25 सदस्य स्थायी समिति के द्वारा नामित होंगे।
3. तीन ऐसे सदस्य जिन्हें केन्द्रीय परिषद नामित करें।



**AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]**

a) Functions :

To introduce general public with the benefits of AYUSH systems of treatment in foreign countries by going there, to conduct programs for advertisement and propaganda for the AYUSH system of treatment and to fulfill the objectives of AYUSHMA in this manner,

**7. Omitted**

**8. Program Committee**

A separate Program conducting committee will be formed for holding the programs, meetings and workshops of AYUSHMA

**9. Efforts Departments**

A committee by the name Efforts Committee will also be formed for the protection and rights of the AYUSH doctors and practitioners and for the fulfillment of the requirements of its organs of the AYUSHMA the Efforts/Struggle Committee will be available.

**AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]**

**क- कार्य**

विदेशों में जाकर AYUSH चिकित्सा पद्धति की उपयोगिता से जन सामान्य को अवगत कराना, प्रचार प्रसार विकास हेतु कार्यक्रम करना तथा इस AYUSHMA के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना।

7- हटाया गया

8- कार्यक्रम संचालन समिति-

AYUSHMA के कार्यक्रमों, बैठकों, कार्यशालाओं आदि के लिए पृथक से कार्यक्रम संचालन समिति गठित की जाएगी।

9- संघर्ष समिति-

AYUSH चिकित्सा पद्धति के विकास तथा AYUSH चिकित्सकों के अधिकारों की सुरक्षा और AYUSHMA तथा उसके अंगों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक संघर्ष समिति का गठन किया जाएगा।



See Section 15(a)

Second Schedule

**Qualification and Disqualification of the office bearers**

**Qualification necessary for the post of President of AYUSH M.A.**

1. An Indian citizen having degree from the institutions having recognition by the Medical Councils, Indian Medical Central Council, Homeopathic Central Council, and C.C.B.L.Y.N and having registration or approved and Registered with Registration Divisions having five years degree or any equivalent qualification, which is admissible for M.D./M.S. examination,
2. Having attained at least 25 years of age.
3. Having distinguished work done in the required Medical stream.
4. His name must have been approved by two office bearers each of at least five state councils.
5. Must have knowledge of all the AYUSH sciences and the activities of AYUSH Department
6. At least Rs. 25,000/- must have contributed to AYUSH M.A. till the date of the election is declared.
7. He should be eligible to vote in the election of AYUSH M.A. But the provisions sub-section of Section 5 and 7 will not be applicable for the post of President of State Councils, but for the condition mentioned in para 4 and 6 above, it is necessary that he should have approval of two each of the five District branches office bears.

For me District branch etc. the requirements for the post of President, mentioned at No.1 & 3 will be sufficient.

**Qualification necessary for the post of the General Secretary and Treasurer**

1. Any person can only be eligible to become General Secretary or Treasurer of AYUSHMA only when he has got registration with the Board /Council under the enactment of the Central Government or State Government in any discipline of AYUSH system of treatment.
2. He should have completed the age of 25 years.
3. Having general knowledge of the policies of the AYUSH Department and all branches of AYUSH science.
4. He must have eligibility to vote in the election for AYUSHMA.

**Qualification necessary for the other posts.**

He should have the eligibility to vote in the election of the President and General Secretary as defined in this Constitution.

**Disqualification Office bearers:**

Holding of any post in any other medical organization by any office bearer shall be the complete disqualification. For election of any office in the present

**पदाधिकारियों की अर्हताएं और अनर्हतायें**

**AYUSH M.A. के अध्यक्ष पद के लिए अनिवार्य अर्हताएं**

1. भारत का नागरिक हो और AYUSH विभाग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा परिषदों, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, होम्योपैथिक केन्द्रीय परिषद और सी.सी.आर.वाई.एन. द्वारा मान्य उपाधि प्राप्त तथा पंजीकृत या प्रान्तीय पंजीयन मंडलों द्वारा पंजीकृत 5 वर्षीय उपाधि अथवा अन्य समकक्ष उपाधि जो कि स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस.) परीक्षा के लिए मान्य हो, धारित करता हो।
2. कम से कम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. वांछित चिकित्सा विधा में उल्लेखनीय कार्य किया हो।
4. उसका नाम 5 प्रान्तों की प्रान्तीय परिषद् के कम से कम दो-दो पदाधिकारियों से अनुमोदित किया गया हो।
5. AYUSH के सभी चिकित्सा विज्ञानों और AYUSH विभाग के क्रियाकलापों की सामान्य जानकारी रखता हो।
6. कम से कम 25000 रुपये निर्वाचन तिथि घोषित होने तक AYUSHMA को दान कर चुका हो। (चित्रकूट अधिवेशन दिनांक 15-16 नवम्बर 2009 की आम सभा की बैठक में इसे हटाया गया।)
7. AYUSH M.A. के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकारी हो।  
परन्तु प्रान्तीय एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए उपरोक्त पैरा 4 की पूर्ति हेतु पाँच जिला शाखाओं की कार्यकारिणी के कम से कम दो-दो सदस्यों से अनुमोदित कराया जाना आवश्यक रहेगा।  
जिला शाखा आदि के अध्यक्ष पद की अर्हताएं केवल 1 व 3 ही पर्याप्त अर्हता निर्वाचन के लिए होगी।

**महासचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए अनिवार्य अर्हताएं-**

1. कोई भी व्यक्ति आयुष्मा के महासचिव और कोषाध्यक्ष निर्वाचित होने का तभी पात्र होगा जब वह AYUSH की किसी भी चिकित्सा पद्धति के लिए भारत सरकार द्वारा पारित केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के अधीन गठित चिकित्सा परिषद्/ बोर्ड में पंजीकृत हो।
2. 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
3. AYUSH विज्ञान की सभी शाखाओं और AYUSH विभाग की नीतियों की सामान्य जानकारी रखता हो।
4. AYUSHMA के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकारी हो।

**अन्य पदाधिकारी गण की अर्हताएं-**

संविधान और नियमावली में वर्णित अध्यक्ष और महासचिव के निर्वाचन में मतदान की अर्हता होनी चाहिए।

**पदाधिकारियों की अनर्हतायें-**

किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी अन्य चिकित्सीय संगठन का पद धारण करना अनिवार्य अनर्हता होगी, किसी भी पद के निर्वाचन अथवा नामांकन में दावेदारी करने से पूर्व उसे इस बात का घोषणा पत्र देना

## **AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]**

organization or presenting nomination for the election the member shall have to submit a declaration to the effect that he is not a member of office bearer of any other medical organization nor shall remain so during ' his entire tenure.

### **Election of General Secretary and Treasurer**

The election of the President, General Secretary and Treasurer will be held as per the procedure prescribed above. The elected office bearer shall form his Management Committee within fifteen days, whose office bearers shall in accordance with this constitution, rules and regulations.

This will be the restriction that he will make his full endeavor to maintain representation of AYUSHMA, State AYUSHMA, all round representation of Branch Association Central area i.e. through out India.

### **Election Process:**

- a) The president of the Election Cell shall declare the election process : one month before the date of election for the election programs of President, General Secretary and Treasurer, mentioning the date of nomination, scrutiny of nomination documents. Withdrawal of the candidature, sending of ballot papers, the date of its return and the date of receipt back of the same clearly.
- b) The ballot papers will be sent to the voters containing the names of the candidates and one declaration by UPC and two envelopes (one big and one small) in a sealed envelope. The ballot paper sent by this process if received delayed or lost in transit/It shall not cast any effect on the election process and no claim of any candidate in this regard shall be entertained.
- c) No mark of identification , name, signature will be appended by the voter on the ballot paper. The candidate to whom he has to vote, a mark of right ( ) the ballot will be put in the small envelope and closing it firmly be sent in the big envelope with the declaration be sent back to the address mentioned in the notification on his own expenses.
- d) The expenses of election shall be born by the council of which the election is being conducted.
- e) The election of the General Secretary of the State Council, District and City Branch can be conducted by the Council by calling its General Body meeting.
- f) The necessary directions regarding elections will be mentioned in the nomination form and declaration form as well
- g) The voters will be the members under Section 5(a) and (b).

**AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]**

होगा कि वह किसी अन्य चिकित्सीय संगठन का सदस्य अथवा पदाधिकारी नहीं है और न ही अपने कार्यकाल तक रहेगा।

**अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का निर्वाचन**

वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाएगा। निर्वाचित पदाधिकारी 15 दिन की अवधि के अंदर अपनी प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन करेगा। जिसके पद इस संविधान एवं नियमावली के अनुसार होंगे।

प्रतिबन्ध यह होगा कि आयुष्मा, प्रान्तीय आयुष्मा, ब्रान्च एसोसिएशन के चतुर्दिक एवं मध्यक्षेत्र अर्थात् संपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व रखने का अधिकतम प्रयास करेगा।

**निर्वाचन प्रक्रिया**

- (क) निर्वाचन प्रकोष्ठ अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के निर्वाचन कार्यक्रम की विज्ञप्ति निर्वाचन तिथि के एक माह पूर्व प्रकाशित करेगा, जिसमें नामांकन तिथि, नामांकन पत्रों की जाँच, नाम वापसी, मत पत्र प्रेषण एवं उनकी वापसी तिथि, तथा मतपत्र भेजने व वापसी प्राप्त होने की तिथि का स्पष्ट विवरण होगा।
- (ख) मतदाताओं को मतपत्र जिसमें केवल प्रत्याशियों के नाम उल्लिखित किये गये हों तथा घोषणा पत्र डाक प्रमाणपत्राधीन (यू.पी.सी.) तथा दो लिफाफा (एक बड़ा व एक छोटा) बंद लिफाफे में भेजे जायेंगे। इस प्रकार भेजा हुआ मतपत्रक यदि किन्ही मतदाताओं को विलम्ब से प्राप्त होता है अथवा नहीं प्राप्त होता है तो इसका कोई प्रभाव चुनाव की प्रक्रिया पर नहीं होगा और इस संबंध में मतदाता द्वारा कोई दावेदारी नहीं की जाएगी।
- (ग) मत पत्रक पर मतदाता द्वारा कोई पहचान चिन्ह, नाम, हस्ताक्षर अंकित नहीं किया जाएगा। जिस प्रत्याशी को मत देना है उसके नाम के आगे अथवा पीछे सही का चिह्न (✓) लगाकर मतपत्रक की छोटे लिफाफे के अन्दर भरकर भली भांती चिपकाकर उसे बड़े लिफाफे के अंदर भरकर भली भांती चिपकाकर उसे बड़े लिफाफे में घोषणा पत्र के साथ भरकर चिपकाकर अपने खर्च पर डाक द्वारा आधिकारिक रूप से लिखित पते पर भेजेगा।
- (घ) निर्वाचन संबंधी व्यय जिस परिषद् का निर्वाचन किया जा रहा हो वही परिषद् वहन करेगी।
- (ङ) विशेष परिस्थितियों में प्रान्तीय परिषद् व जिला शाखा आदि के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष का निर्वाचन तत् तत् परिषद् की साधारण सभा की बैठक आहूत करके भी किया जा सकेगा।
- (च) नामांकन पत्र घोषणा पत्र में नामांकन संबंधी व मतदान संबंधी अनिवार्य अनुदेश लिखे जायेंगे।
- (छ) मतदाता धारा 5 (क) और (ख) के सदस्य तथा पूर्व विशिष्ट (मनोनीत) सदस्य भी होंगे।

**AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]**


- Section 37    Amendment of the Rules and Regulations of AYUSHMA  
Any amendment in the Constitution, Rules and Regulations shall be effected only in accordance with Section 12 and 12 A of Societies Registration Act in the National Capital Territory of Delhi wherein the consent of all the members of Legal Cell and 2/3 members of AYUSH MEDICAL ASSOCIATION OF INDIA TRUST will be necessary.
- Section 38    Dissolution of the Organization : If it is felt necessary that the organization be wound up, it will be wound up in accordance with the provisions of Section 13 and 14 of Societies Registration Act in, the National Capital Territory of Delhi.
- Section 39    Enforcement of the Act.  
All the rules, regulations and provisions of Society Registration Act, 1860 will be enforced on this Society in N.C.T. New Delhi.
- Section 40    Compulsory Certification  
It is certified the this is a true and certified copy of the Rules and Regulations of this Society.

**AYUSH M.A.**

**AYUSH MEDICAL ASSOCIATION [INDIA]**

- धारा 37- AYUSHMA के नियमों/विनियमों में संशोधन-**  
ज्ञापन पत्र तथा नियम व उप नियम में कोई संशोधन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 12 व 12 ए में उल्लिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगा। जिसमें विधि प्रकोष्ठ के सभी सदस्यों एवं आयुष मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट के 2/3 सदस्यों का सहमत होना आवश्यक होगा।
- धारा 38- संस्था का समापन-**  
यदि AYUSH M.A. को समाप्त करने की आवश्यकता है तो उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की धारा 13 व 14 में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- धारा 39- अधिनियम को लागू करना -**  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा प्रभावी संस्था पंजीकरण अधिनियम 1860 की सभी धाराओं के अंतर्गत सभी उपबंध इस संस्था पर लागू होंगे।
- धारा 40- अनिवार्य प्रमाणपत्र-**  
प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था के नियम व उपनियम की सही प्रति है।

REGISTRATION NO. 20 of S.R.A. Act 1960  
20/11/07



5/10/07

50887  
A.14